<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 25/2020 जिला भीलवाड़ा

भूरा खारोल आत्मज श्री अमरा जी खारोल जाति खारोल आयु 60 वर्ष निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलांट

बनाम्

1. सत्यनारायण पुत्र श्री सुखदेव ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सालरिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, बनेड़ा जिला—भीलवाड़ा(राज0)
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा बप्रकरण संख्या 01/2016 आंवटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम भूरा खारोल बनाम सत्यनारायण ब्राहम्ण व अन्य निर्णय दिनांक 30.03.2016

उपस्थित अभिभाषकः—श्री अरूण देराश्री (अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट संख्या 1 के अभि0ः—अनुपस्थित
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालरिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 2343 में से 5 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 06.01.2002 को आवंटित की गई थी। इस बात से रूष्ट होकर वर्तमान अपीलांट भूरा द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में किये गये, भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया। जिसे 1/2016 से दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 30.03.2016 को पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए आवंटन को बहाल रखा। जिला कलक्टर द्वारा दिये गये उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा तत्समय आरएए भीलवाड़ा में अपील दर्ज करवायी गयी। जो राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के द्वारा न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है—

1. खसरा नम्बर 2343 पर जो कि बिलानाम भूमि [illegible] अपीलांट का 40 से 45 वर्षो तक कब्जा है।

2. रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा ग्राम धोल[illegible] हेतु [illegible] प्रस्तुत किया था जिसे [illegible] में काटकर सालरिया कलां कर दिया गया तथा खसरा नम्बर भी 40 को काटकर 2343 अंकित कर दिया गया। जबकि 2343 पर अपीलांट का कई वर्षों से कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:34 IST
Reason: SelfAttested

3. रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर 2551/2343 रकबा 5 बीघा बने है। साथ ही आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 2343 न होकर अन्य भूमि का खसरा नम्बर दर्ज है।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2005 को पत्र पटवार हल्का को भिजवाया गया था। जिसमें में भी आराजी नम्बर 2443 ही रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटन होना बताया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा उक्त आदेश पालनार्थ हेतु दिया गया था। जिसके आदेश में भी आराजी नम्बर 2443 में से 5 बीघा भूमि आवंटन होने व कब्जा सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत होना माना है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आराजी नम्बर 2343 का आवंटन छल कपट से प्राप्त किया है।

5. आराजी नम्बर 2343 हेतु किसी प्रकार की घोषणा जारी नहीं की गई है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर केवल एक जगह तारीख अंकित है। जांच रिपोर्ट कब की गई यह अंकित नहीं है। बिना मौका देखे आवंटन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा ना ही उसके द्वारा कोई फसल काश्तं की है।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तुत किया था उस दिन रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित था। फिर भी मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। अपील स्वीकार की जायें।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पोडेंट सत्यनारायण को मांगी गयी जमीन की जगह अन्य आवंटित की गई। उक्त जमीन पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है। नाड़ी भी बनायी गई है। सन् 1988 से लेकर आज तक हमारा कब्जा है। दूर रहने वाले को आवंटन किया गया है। सुपुर्दगीनामा में कांट छांट की गयी है। संवत 2044 से सन् 2005 से हमारा कब्जा है। 2 वर्ष में खातेदारी दी गई। बैंक लोन लेकर अब आवंटी ने लोन नहीं चुकाया। आवंटन तिथि का उल्लेख नहीं है। सुपुर्दगीनामा में तारीख का उल्लेख नहीं है। आवंटन निरस्त किया जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 का है। अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 29.04.2016 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय में पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान हो चुके है। यह अपने निर्णय में अंकित किया है तथा यह भी माना है कि आवंटी ने आवंअन शर्तो की पालना की है। इसी वजह से उसे खातेदारी अधिकारी दिया गया है। उनके द्वारा भूरा को मात्र कब्जे के आधार पर लाभ लेने की कोशिश माना है तथा यह कहा है कि अतिक्रमण के आधार पर कब्जे को कानूनी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। ग्राम धोलादाता को आबादीविहीन ग्राम माना है।

अपीलांट मुख्य रूप से इस बात का जोर देते है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर उसका विगत 40–50 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। मगर फिर भी अपीलांट को भूमि आवंटन न की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 को भूमि आवंटित कर दी गई है। अतिक्रमण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:34 IST
Reason: SelfAttested

मामलो में प्रतिवर्ष खरीफ और रबी की फसलों के समय तहसीलदार द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर फसल जब्त कर निलाम की जाती है। पैनाल्टी की राशि भी वसूली जाती है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि उसका अतिक्रमित भूमि पर अधिकार मान लिया जायें। सरकारी भूमि पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर भी लिया गया हो तो भी ऐसी भूमि अनाधिवासीत भूमि ही मानी जायेगी। जैसा कि हरपाल बनाम काना 1982 आरआरडी पेज 585 पर उल्लेखित किया गया है। अपीलांट को भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत भू आवंटन सलाहकार समिति के सामने उपस्थित होकर अपना नियमन हेतु दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। मगर उसके द्वारा ऐसा नही किया गया।

जहां तक आवंटन किस खसरा नम्बर में किया गया है इस बाबत पत्रावली पर दो प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध है। सुपुर्दगीनामा में खसरा नम्बर 2343 रकबा 5 बीघा बताया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा पर पटवारी के हस्ताक्षर है। गवाह के हस्ताक्षर है। आवंटी के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 30.12.2004 को उक्त सुपुर्दगीनामा दिया जाना दिखाई पड़ता है। अन्य दस्तावेज जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 59/2 के नाम से है में रेस्पोडेंट संख्या 1 को खसरा नम्बर 2443 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित किया जाना पाया जाता है तथा इसी प्रकरण संख्या 59/2 से संबंधित भूमि आवंटन आदेश भी खसरा नम्बर 2443 रकबा 5 बीघा के नाम से है। दोनो दस्तावेजों में खसरा नम्बर बाबत भिन्नताऐं है। अपीलांट द्वारा आवंटन किस दिनांक को हुआ है। यह नहीं बताया है। ना ही आवंटन के बाद खुले गैर खातेदार नामातंरण एवं खातेदारी नामातंरण बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में वस्तु स्थिति क्या है यह नहीं बताया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हे लिपिकीय त्रुटी बताया है। आवेदन पत्र में काटा छाटी की हुई दिखाई पड़ती है। आवंटी के अनुसार धोलादाता गांव का नाम आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले भी हटा दिया गया था। इस बात से अपीलांट को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा वकील अपीलांट द्वारा आंवटी को खातेदारी दिये जाने बाबत कथन किये है। खातेदारी अधिकार आवंटी को कब प्राप्त हुए यह अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया है।

खातेदारी प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ छल कपट के आधार पर प्राप्त किया गया आवंटन ही निरस्त किया जा सकता है। सत्यनारायण द्वारा कोई छल कपट किया जाना पत्रावली के विश्लेषण से दृष्टिगोचर नहीं होता है।

जैसे ही आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसे राजस्थान टिनैन्सी एक्ट में सारे अधिकार प्राप्त हो जाते है। वह जमीन विक्रय एवं रहन रख सकता है। अब आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। परन्था बनाम पृथ्वीराज 1986 आरआरडी पेज 137 न्यायिक दृष्टांत में इस बाबत बताया गया है।

समग्र विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व अपीलांट का कब्जा दृष्टिगोचर होता है। मगर नियम 20 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत उसे भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसे अपना [illegible] प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे कि निष्कर्ष निकाला जा सके। रेस्पोडेंट सत्यनारायण द्वारा कोई मिथ्या–कथन, कपट किया गया हो, ऐसा पत्रावली पर दृष्टिगोचर नहीं होता है एवं खातेदारी प्राप्त करने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:34 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 1/2016 (उनवानी भूरा बनाम सत्यनारायण बनाम अन्य अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत दिए गये निर्णय) दिनांक 30.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:34 IST
Reason: SelfAttested